भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4821
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फतेहगढ़ साहिब में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

†4821. डॉ. अमर सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। ब्यौरे सार्वजनिक रूप से https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=57&lid=70 लिंक पर उपलब्ध हैं:

जिला फतेहगढ़ साहिब में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) और पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के तहत अनुमोदित निर्माण/उन्नयन कार्यों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत भारत सरकार ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन एवं सशर्त

नकद अंतरण स्कीम है।

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म लेने वाले बीमार शिशु (एक वर्ष की आयु तक) और सभी गर्भवती महिलाएं सीजेरियन सेक्शन सहित पूर्ण रूप से नि:शुल्क और व्यय रहित प्रसव की पात्र हैं। इन पात्रताओं में नि:शुल्क औषधियाँ, उपभोज्य, ठहरने के दौरान नि:शुल्क आहार, नि:शुल्क निदान, नि:शुल्क परिवहन और यदि आवश्यक हो तो नि:शुल्क रक्ताधान शामिल है। इसी प्रकार की पात्रताएं एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं के लिए भी उपलब्ध हैं।
- प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत गर्भवती महिला को प्रत्येक माह के 9वें दिन स्पेशलिस्ट/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क, आश्वस्त और गुणवत्ता युक्त प्रसव-पूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।
- विस्तारित पीएमएसएमए कार्यनीति के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, विशेष रुप से उच्च-जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व परिचर्या (एएनसी) सुनिश्चित की जाती है तथा व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग तब तक की जाती है जब तक कि पीएमएसएमए दौरों के अतिरिक्त प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों) के साथ अतिरिक्त तीन दौरें और उच्च जोखिम वाली चिन्हित गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के द्वारा सुरक्षित प्रसव न हो जाए।
- लक्ष्य पहल लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटरों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल प्रसवोत्तर सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या मिले।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) के तहत बिना किसी लागत के आश्वस्त, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है और सभी रोके जा सकने योग्य मातृ और नवजात मौतों को समाप्त करने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का दौरा करने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए सेवाओं से इनकार करने के लिए शून्य सहिष्णुता प्रदान की जाती है।
- प्रसवोत्तर परिचर्या के अनुकूलन का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने पर जोर देकर और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं के त्वरित पहचान, रेफरल और उपचार के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों) को प्रोत्साहित करके प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को मजबूत करना है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ तालमेल करके पोषण सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान तथा जागरूकता पैदा करने तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाए जाते हैं।
- विशेष रूप से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए आउटरीच शिविरों का प्रावधान किया जाता है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक लामबंदी के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गर्भधारण को ट्रैक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- सुविधा केन्द्र आधारित नवजात परिचर्याः जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्तर पर विशेष नवजात परिचर्या एकक (एसएनसीयू) स्थापित किए जाते हैं, बीमार और छोटे शिशुओं की परिचर्या के लिए प्रथम रेफरल एककों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में नवजात स्थिरीकरण एककों (एनबीएसयू) की स्थापना की जाती है।
- कंगारू मदर केयर (केएमसी) पहलः जन्म के समय कम वजन वाले/समय पूर्व जन्मे शिशुओं के लिए

सुविधा केन्द्र और सामुदायिक स्तर पर कार्यान्वित की जाती है। इसमें मां या परिवार के सदस्य के साथ आत्मीय संबंध और विशेष रूप से और लगातार स्तनपान कराना शामिल है।

- नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित परिचर्या: नवजात शिशु की घर पर की जाने वाली परिचर्या (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की घर पर की जाने वाली परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम के तहत, आशाकर्मियों द्वारा बच्चों को पालने के व्यवहारों में सुधार करने और समुदाय में बीमार नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर का दौरा किया जाता है।
- निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिये सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (एसएएएनएस) पहल वर्ष 2019 से निमोनिया के कारण बचपन की रुग्णता और मृत्यु-दर को कम करने के लिये लागू की गई।
- ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने और बाल्यावस्था डायरिया के कारण रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए स्टॉप डायरिया पहल कार्यान्वित की जाती है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके): बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत 32 स्वास्थ्य स्थितियों (यानी बीमारियों, कमियों, दोषों और विकास में देरी) के लिए 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच की जाती है। आरबीएसके के अंतर्गत जांचे गए बच्चों की पुष्टि और उपचार के लिए जिला स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र स्तर पर जिला प्रारंभिक अंतःक्षेप केन्द्र (डीईआईसी) स्थापित किए जाते हैं।
- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति को मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में छह लाभार्थी आयु वर्ग के बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया को कम करने के लिए लागू किया गया है।
- माताओं और देखभालकर्ताओं के कौशलों में सुधार करने पर विशेष ध्यान देते हुए चिकित्सीय जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अंतरंग रोगी चिकित्सा और पौषणिक परिचर्या प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (एनआरसी) की स्थापना की जाती है।
- मां का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए लागू किया गया है जिसमें स्तनपान की शीघ्र शुरुआत करने और पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान कराना शामिल है, इसके बाद आयु-उपयुक्त पूरक आहार संबंधी व्यवहार पर परामर्श शामिल है।
- स्तनपान प्रबंधन केंद्र: स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू) गहन परिचर्या इकाइयों में भर्ती किए गए बीमार, समय से पहले और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों को स्तनपान कराने के लिए मां के स्वयं के दूध या दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित सुविधा केंद्र हैं।
- राष्ट्रीय किटनाशन दिवस (एनडीडी) के तहत, सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) के बीच मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां दो चरणों (फरवरी और अगस्त) में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक निश्चित दिन दी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, फतेहगढ़ जिले में व्यापक मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 बिस्तरों वाला समर्पित सुविधा केन्द्र है।

*****